

मणिबेन पटेल, सरदार पटेल की सुपुत्री । वे केवल एक दिन ही जेल में रहीं । बाकी दो के बारे में मैं ने बता ही दिया है ।

श्री हुकम चंदा कच्छव : प्रापातकाल के समय काफ़ी महिलाओं को डी०आई०आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उन पर आज भी केसेज चल रहे हैं । आप कहते हैं कि सब को छोड़ दिया गया है लेकिन मेरा कहना यह है कि सब के केसेज को वापस नहीं लिया गया है और उन पर केस चल रहे हैं । इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप फिर घोषणा कीजिए और उन के केसेज को वापस लीजिए ।

श्री चरण सिंह : प्र यक्ष महोदय, तने बल के साथ माननीय सद य कह रहे हैं, तो मैं उन से क् गा कि वे मेहरबानी कर क मझे नाम बता दें और आज ही घाड़र जा ि हो जाएग ।

SHRI K. LAKKAPPA: I would like to know whether there are certain former rulers who were hoarding money, jewels and lots of black money.

MR. SPEAKER: That does not arise out of this.

SHRI K. LAKKAPPA: I want to know whether the present Government is not taking action against them for such things.

MR. SPEAKER: It is not proper. Do not provoke others. You can put a separate question about their hidden wealth etc.

SHRI K. LAKKAPPA: There are certain cases against Maharani Gayatri Devi under COFEPOSA for hoarding money, blackmarketing, keeping a huge amount of wealth etc. I want to know whether they are proceeding against them or not.

MR. SPEAKER: You should not provoke other people. Whether Shri-mati Gayatri Devi has done something wrong or not, we are not discussing that now. It does not arise out of the question at all.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Only relevant supplementaries can be put. Should an opportunity be taken to defame people?

श्री अमलत दबे : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जेलों में महिलाओं पर जो प्रत्याचार हुए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट सरकार के पास है ? यदि है तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेना चाहती है ?

श्री चरण सिंह : प्रत्याचारों का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । मैं प्रश्न कर चुका हूँ कि यदि प्रत्याचार हुए हैं तो वे शाह कमीशन के पास जाएंगे ।

प्रधान मंत्री सहायता कोष

* 144. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रधान मंत्री के सहायता कोष में कुल कितना धन है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उक्त कोष में कितना धन था तथा इस कोष का मुख्य स्रोत क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस कोष के लिए धन दिया तथा उन्होंने कितना-कितना धन दिया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से कितना धन खर्च किया गया तथा इसको किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :
(क) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 31 मई, 1977 तक 11,89,63,994.83 रु० शेष था ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक लेखा वर्ष (जुलाई से जून तक) के अन्त में उक्त कोष में शेष इस प्रकार था :—

1973-74	87,51,977.57 रु०
1974-75	89,87,145.00 रु०
1975-76	10,77,59,940.99 रु०

इस कोष के मुख्य अंत लोगों द्वारा ऐच्छिक रूप से दिये गए अंशदान तथा बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला व्याज है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल अंशदान इस प्रकार है :—

1973-74	22,19,153.82 रु०
1974-75	32,12,853.72 रु०
1975-76	11,61,01,768.55 रु०

सदन की मेज पर उन अंशदाताओं के नाम तथा उनके अंशदान के विवरण रख दिए गए हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में अंशदान दिये हैं [विबरण ग्रन्थ लय में रखा गया । देखिये संख्या L.T. 472 77]

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से इस प्रकार धन खर्च किये गये :—

1973-74	20,95,243.44 रु०
1974-75	36,06,207.84 रु०
1975-76	2,00,12,810.00 रु०

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, खान दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से यह धन बांटा गया । सहायता कार्य में लगे कुछ संघों को अनुदान दिये गये । ऐसे कुछ व्यक्तियों को भी अनुदान दिये गये जिनके

सामने वित्तीय संकट था, जिसका मुख्य संज्ञ उनको शिक्षा तथा चिकित्सा का समस्याओं से था, जिससे कि वे अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को पार करने में समर्थ हो सकें । एक दो परोपकारी कार्यों में भी अनुदान दिये गए ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री जी की जानकारी में यह है कि 1975-76 में श्री आर एन को जो हेड हैं आर० ए० डब्ल्यू० के उनके परामर्श से उन्हीं के परिवार के लोगों को बड़ी धनराशि दी गई ? क्या इस की केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस पर केन्द्रीय सरकार कोई आयोग या इसी सदन और राज्य सभा के पांच पांच या सात सात सदस्यों की कोई जांच कमेटी बिठा कर इस की जांच कराएंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी जांच बिठाने की जरूरत नहीं है । मैं जांच कर लूंगा ।

श्री बलबीर सिंह : जांच करने के बाद अगर यह पाया गया कि यह धनराशि ठीक ढंग से खर्च नहीं की गई, गलत ढंग से की गई है तो कोई एक्शन भी आप उनके खिलाफ लेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : जो जरूरी काम होगा वह करेंगे ?

Shortage of Houses for Scheduled Castes in Delhi

*146. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government or any of its agencies have made a survey of